राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7(38) परि/नियम/मु0/2011/ जयपुर, दिनांक :

कार्यालय आदेश 46 /2012

जानकारी में लाया गया है कि राज्य के विभिन्न कार्यालयों में स्लीपर वाहनों को कैम्पर वैन के नाम से पंजीकृत किया जा रहा है जो नियमानुकूल नहीं है। मोटर वाहन नियमावली में स्लीपर एवं कैम्पर को पृथक-पृथक परिभाषित किया गया है। उक्त दोनों प्रकार के वाहनों की संरचना एकदम भिन्न प्रकार की होने से किसी भी कोण से स्लीपर को कैम्पर वैन नहीं कहा जा सकता है।

इसी के साथ यह भी ध्यान में लाया गया है कि कतिपयः स्लीपर वाहनों का पंजीयन नियमों में उल्लेखित स्लीपर के परिमाप से भिन्न होने पर भी किया जा रहा है।

अतः समस्त पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित जिले में पंजीकृत/संचालित स्लीपर वाहनों की स्वयं के स्तर पर जांच कर राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 7.14 ए की अनुपालना सुनिश्चित करें। स्लीपर वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र में यदि कैम्पर वैन नाम दर्ज हो तो अविलम्ब संशोधन किया जावे एवं समस्त कार्यवाही की सूचना आगामी 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि पश्चात् मुख्यालय के स्तर पर स्लीपर वाहनों एवं इनके पंजीयन प्रमाण पत्रों की जांच करायी जाने पर यदि किसी स्लीपर की परिमाप नियमों के विपरीत पायी गयी या पंजीयन प्रमाण पत्र में कैम्पर वैन दर्ज पाया गया तो संबंधित पंजीयन अधिकारी के विरूद्व आदेशों की अवहेलना एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन में कोताही बरतने के कारण नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

अपर परिवहन आयुक्त (स. सु.)

Camp 2.03 1.4.8.12

क्रमांक : एफ 7(38) परि/नियम/मु0/2011/ 7076-7081 जयपुर, दिनांक : 3-8-2012

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ सहायक, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
2. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव महोदय।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण.....।
4. समस्त प्रादेशिक/अति./जिला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी .....
5. श्री संजय सिंघल, एनलिस्ट कम प्रोग्रामर, ए. सी. पी., को विभागीय बेवसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (नियम)